रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 103] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 18, 2015/माघ 29, 1936
No.103] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 18, 2015/MAGHA 29, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली,18 फरवरी, 2015

सं. 05/2015-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि.110(अ).—जबकि नामित प्राधिकारी ने दिनांक 6 जून, 2013 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-(1) में प्रकाशित दिनांक 6 जून, 2013 की अपनी अधिसूचना सं.15/13/2013-डीजीएडी, के अंतर्गत कोरिया आर.पी. (यहां जिसे विषयगत देश के रूप में संदर्भित किया गया है) से मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यात किए गए एसीटोन (यहां जिन्हें विषयगत वस्तु के रूप में संदर्भित किया गया है) जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जिसे यहां उपर्युक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची में टैरिफ मद 29141100 के अंतर्गत आते हैं, के आयात पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उपखंड (i) में दिनांक 10 जून, 2008 को सा.का.नि. सं. 447 (अ) के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 10 जून, 2008 की अधिसूचना सं. 75/2008-सीमा शुल्क के अंतर्गत लागू किया गया था, को बनाए रखने के मामले की समीक्षा शुरू की थी।

और जबकि केन्द्र सरकार ने भारत के राजपत्र के असाधारण, भाग- II, खंड-3, उपखंड (i) में दिनांक 25 जून, 2013 को सा.का.नि. सं. 406 (अ) के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 25 जून, 2013 की अधिसूचना सं. 12/2013-सीमा शुल्क (एडीडी) के द्वारा, 19 जून, 2014 तक विषयगत देश में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की गई विषयगत वस्तु पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क को बनाए रखा था।

और जबकि विषयगत देश में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की जाने वाली विषयगत वस्तु के आयात पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में पद नामित पदाधिकारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- I , खंड-1 में दिनांक 4 दिसम्बर, 2014 को प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्ष सं. 15/13/2013-डीजीएडी के अंतर्गत निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि-

(i) विषयगत देश से विषयगत वस्तु का लगातार प्रतिपाटन हो रहा है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है;

(ii) पाटन रोधी शुल्क के समाप्त होने पर प्रतिपाटन के जारी रहने एवं तीव्र होने की संभावना है,

और यह सिफारिश की है कि विषयगत देशों में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की जाने वाली विषयगत वस्तु के लिए प्रतिपाटन शुल्क का लगाया जाना जारी रखा जाए;

इसलिए अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (।) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार प्राधिकृत प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर एतद्द्वारा विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ-शीर्ष के अंतर्गत आते हैं, जो कॉलम (2) में सामने की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, कॉलम (4) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में उद्धत हैं और कॉलम (5) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित हैं और कॉलम (6) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादक द्वारा उत्पादित हैं तथा कॉलम (7) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातक द्वारा निर्यातित हैं, और भारत में आयातित हैं, पर उक्त सारणी के कॉलम (9) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप की प्रति यूनिट, कॉलम (10) में विनिर्दिष्ट मुद्रा में एवं कालम (8) में सामने दी गई प्रविष्टि राशि के समतुल्य प्रतिपाटन शुल्क दर लगाती है ।

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ शीर्ष	वस्तु विवरण	उद्गम देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मापन की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	29141100	एसीटोन	कोरिया आर.पी.	कोरिया आर.पी.	कोई	कोई	79.75	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
2	29141100	एसीटोन	कोरिया आर.पी.	कोरिया आर.पी. के अतिरिक्त कोई अन्य देश	कोई	कोई	79.75	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
3	29141100	एसीटोन	कोरिया आर.पी. के अतिरिक्त कोई अन्य देश	कोरिया आर.पी.	कोई	कोई	79.75	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर

2. लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक (जब तक कि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है और इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है) उद्गृहीत किया जाएगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के आशय से, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन में लागू "विनिमय दर" वही होंगी जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा विनिमय की दर के निर्धारण की तारीख वह होगी जो उपर्युक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी ।

[फा.सं. 354/10/2008-टीआरयू (भाग-I)]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2015

No. 05/2015-Customs (ADD)

G.S.R.110(E). –Whereas, the designated authority, *vide* notification No. 15/13/2013-DGAD, dated the 6th June, 2013 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, had initiated a review in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of Acetone (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff item 2914 11 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from Korea RP (hereinafter referred to as the subject country), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 75/2008-Customs, dated the 10th June, 2008, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 447(E), dated the 10th June, 2008;

And whereas, the Central Government had extended the anti-dumping duty on the subject goods, originating in or exported from the subject country upto and inclusive of the 9th June, 2014 *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 12/2013-Customs (ADD), dated the 25th June, 2013, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R 406(E), dated the 25th June, 2013;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on import of the subject goods, originating in or exported from the subject country, the designated authority in its final findings, published *vide* notification No. 15/13/2013-DGAD, dated the 4th December, 2014, in Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, has come to the conclusion that—

(i) there is continued dumping of the subject goods from the subject country, causing injury to the domestic industry;

(ii) the dumping is likely to continue and intensify if the anti-dumping duty is revoked,

and has recommended imposition of the anti-dumping duty on the subject goods, originating in or exported from the subject country.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (7), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (8), in the currency as specified in the corresponding entry in column (10) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Tariff item	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Duty amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2914 11 00	Acetone	Korea RP	Korea RP	Any	Any	79.75	MT	US Dollar
2	2914 11 00	Acetone	Korea RP	Any country other than Korea RP	Any	Any	79.75	MT	US Dollar
3	2914 11 00	Acetone	Any country other than Korea RP	Korea RP	Any	Any	79.75	MT	US Dollar

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be paid in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F.No. 354/10/2008-TRU (Pt.-I)]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.